

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23102023-249590
SG-DL-E-23102023-249590असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 19, 2023/आश्विन 27, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 257
No. 313]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 2023/ASVINA 27, 1945	[N. C. T. D. No. 257

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIकार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां
अधिसूचना

दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2023

फा. सं. 5/61/2022/स्था./सह./विवि./भर्ती नियम/1632.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59-एमआईएन (एच) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा इस सरकार की दिनांक 27 जनवरी 1966 की अधिसूचना सं. फा. 2/3/65-एपीपीटीएस (ख) के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप किए जाने के वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी समितियां विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में बेलिफ़ के पद हेतु निम्नलिखित भर्ती नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(i) इन नियमों को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां विभाग, बेलिफ़ भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली के शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि:—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले इन नियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यता:—वह व्यक्ति,
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की

है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **विधिल करने की शक्ति:**—जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
6. **बचाव:**— इन नियमों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	बेलिफ
2.	पदों की संख्या	:	*17 (2023) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह—'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—1 (रुपये 18000—56900/—)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	सीधी भर्ती के लिए 18—27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय।) टीपः —आयु—सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से एक विषय के रूप में उर्दू/हिंदी के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। टीपः —अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	02 वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	100% सीधी भर्ती द्वारा टीपः — पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी के कारण अथवा अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक लम्बी अवधि के लिये कार्य से अलग रहने के कारण रिक्त पद को केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जा सकता है। (क) नियमित आधार पर समरूप पदधारी। (ख) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता रखता हो। (प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया	:	लागू नहीं

	जाना है		
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।	:	स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना : 1. प्रधान सचिव/सचिव (लो0नि0वि0), रा0रा0क्षे0दि0स0 – अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष/सचिव सह—आरसीएस, रा0रा0क्षे0दि0स0 – सदस्य 3. उप—सचिव (शह0 वि0), रा0रा0क्षे0दि0स0 –सदस्य टीपः—यदि अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

टी. फिलिप थांगलिणनमांग, विशेष रजिस्ट्रार (सहकारी)

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 5th October, 2023

F. No. F.5/61/2022/Estt./Coop./Misc/RR./1632.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Min (H) dated the 13th July, 1959, and in supersession of notification of this Government No. F.2/3/65-Appts (B) dated 27th January 1966, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make following recruitment rules for the post of **BAILIFF** in the Registrar Cooperative Societies Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely :-

- Short title and commencement**—(i) These rules may be called the Department of Registrar Cooperative Societies, Bailiff Recruitment Rules, 2023.
(ii) They shall come into effect on the date of their publication in the Official Gazette of Delhi.
- Number of post, classification and pay level in the Pay Matrix**—The number of said posts, its classification and pay level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) to the schedule annexed to these rules.
- Method of Recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be specified in columns number (5) to (13) of the said Schedule annexed to these Rules.
- Disqualifications**—No Person,
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse, or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for the said post:
Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to Relax**—Where the Government of National Territory is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Government of National Capital Territory of Delhi from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of posts	Bailiff
2.	Number of Posts	17* (2023) *Subject to variation Dependent on work-load
3.	Classification	General Central Service, Non-Ministerial, Non-Gazetted, Group 'C'
4.	Level in the Pay Matrix	LEVEL 1 (Rs. 18000- 56900/-) of the Pay Matrix
5.	Whether selection post or non-selection post	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruits	Between 18 and 27 years for direct recruits. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:- The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Delhi Subordinate Services Selection Board/Competent Authority.
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Matriculation or equivalent from a recognized Board/Institution with Urdu/Hindi as one the subject. Note: Qualification are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
8.	Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotes	Not Applicable
9.	Period of probation, if any	02 years
10.	Method of Recruitment, whether by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	100% by Direct Recruitment Note: "Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) Holding analogous posts on regular basis (b) Possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Col.7". (The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of application).
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made	Not Applicable
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Composition of DPC for considering confirmation: 1. Principal Secretary/Secretary (PWD), GNCTD - Chairperson 2. HOD/Secy.-Cum-RCS, GNCTD - Member 3. Dy. Secretary (UD), GNCTD - Member Note:- Senior most member of the departmental confirmation committee shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the committee.
13.	Circumstances which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,

T. PHILIP THANGLIENMANG, Special Registrar (Cooperative)